

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2453

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2023, अग्रहायण 27, 1945 (शक) को दिया जाना है

नदी के अवैध रेत खनन की जांच

+2453. श्री ए.के.पी. चिनराज:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रवर्तन निदेशालय कितने राज्यों में नदी के अवैध रेत खनन से संबंधित जांच कर रहा है;

(ख) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नदी के अवैध रेत खनन के संबंध में तमिलनाडु राज्य में कितने नदी तलों का सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(ग) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक से अवैध रेत खनन के संबंध में दर्ज एफआईआर की प्रतियां भेजने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में पुलिस महानिदेशक की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): प्रवर्तन निदेशालय, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब और बिहार राज्यों सहित अवैध नदी रेत खनन से संबंधित कई मामलों की जांच कर रहा है।

(ख): निदेशालय ने दिनांक 07.10.2023 से 05.11.2023 तक की अवधि के दौरान आईआईटी कानपुर के तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेकर तमिलनाडु राज्य में 28 अनुमत खनन खदान स्थलों का सर्वेक्षण किया है।

(ग) और (घ): जी हां, प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु के डीजीपी से दिनांक 17.10.2023, 03.11.2023 और 05.12.2023 के पत्रों के माध्यम से अवैध रेत खनन से संबंधित दर्ज एफआईआर की प्रति भेजने का अनुरोध किया है। हालांकि, आज की तारीख तक डीजीपी कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई है।
